



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092026-275952
CG-DL-E-03092026-275952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4656]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 4656]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2026

का.आ. 4843(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6000 (अ) दिनांक 24.12.2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में NH48 के कि.मी. 144.150 से कि.मी.145.400 (सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कलेक्टर करजन, तालुका सेवा सदन करजन) तक के भू-खण्ड के अतिरिक्त संरचना / पुलों का निर्माण (चौड़ीकरण / छह लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना दिनांक 12.04.2026 को “संदेश” और “द टाइम्स ऑफ इंडिया” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वडोदरा जिले के करजन तालुका के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 का कि.मी. 144.150 से कि.मी. 145.400 तक के लिए संरचना रहित अथवा संरचना सहित अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: वडोदरा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: करजन					
गांव का नाम: बामणगाम					
1	473	सरकारी	गौचर	0.0535	बामणगाम ग्राम पंचायत 473
2	475	निजी	गैर कृषि	0.0184	दीपक इंजीनियरिंग कंपनी तर्फे प्रोप्राइटर कामोद नारायण रामदेव झा, 475
3	51	सरकारी	तालाब	0.0104	बामणगाम ग्राम पंचायत 51
4	635.001	निजी	कृषि	0.0186	चौहान मंजुलाबेन चंद्र सिंह, चौहान सतीश सिंह चन्द्र सिंह, चौहान कनकसिंह चन्द्रसिंह, चौहान रणवीर सिंह चन्द्र सिंह

					635.001
5	636	निजी	कृषि	0.0107	पटेल मनोजकुमार मनुभाई 636
6	640	निजी	कृषि	0.0113	पटेल चंदकांत परसोत्तमभाई 640
7	642	निजी	कृषि	0.0377	चौहान जयेन्द्र सिंह फतेसंग, चौहान सुरेंद्र सिंह फतेसंग, 642
8	644	निजी	कृषि	0.0145	दोशी उपेन्द्रभाई ईश्वरभाई, शारदाबेन केसुरभाई दोशी, किरीटभाई केसुरभाई दोशी, प्रवीणभाई केसुरभाई दोशी, कमलेशभाई केसुरभाई दोशी, प्रकाशभाई केसुरभाई दोशी, योगेशभाई केसुरभाई दोशी 644
9	746	निजी	कृषि	0.04	पटेल कल्पेश कुमार कांतिलाल, मयूरीबेन दुष्यन्तभाई पटेल, कृपल दुष्यन्तभाई पटेल, ध्रुवा दुष्यन्तभाई पटेल 746
10	762	सरकारी	गौचर	0.0334	श्री सरकार 762

11	779	सरकारी	गौचर	0.0266	श्री सरकार 779
Total				0.2751	

[फा. सं. NHA/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3A3/3D3]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2026

S.O. 4843(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway, S.O. 6000 (E) dated 24.12.2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction of additional structure / bridges (widening / six laning etc), maintenance, management and operation of NH-48 in the stretch of land from Km. 144.150 to Km. 145.400 (Deputy Collector Karjan, Taluka Seva Sadan) in the district of Vadodara in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sandesh and “The Times of India” both dated 12.04.2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH48 in the stretch of land from Km. 144.150 to Km. 145.400 in the Taluka of Karjan, District of Vadodara in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: Vadodra		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6

Taluk: Karjan					
Village: Bamangam					
1	473	Government	Gaucher	0.0535	Bamangam Gram Panchayat 473
2	475	Private	Non Agriculture	0.0184	Deepak Engineering Company As a Proprietor Kamod Narayan Ramdev Jha, 475
3	51	Government	Pond	0.0104	Bamangam Gram Panchayat 51
4	635.001	Private	Agriculture	0.0186	Chauhan Manjulaben Chandrasinh, Chauhan Satishsinh Chandrasinh, Chauhan Kanaksinh Chandrasinh, Chauhan Ranveersinh Chandrasinh 635.001
5	636	Private	Agriculture	0.0107	Patel Manojkumar Manubhai 636
6	640	Private	Agriculture	0.0113	Patel Chandkant Parsottambhai 640
7	642	Private	Agriculture	0.0377	Chauhan Jayendrasinh Fatesang, Chauhan Surendrasinh Fatesang 642
8	644	Private	Agriculture	0.0145	Doshi Upendrabhai Ishwarbhai, Shardaben Kesurbhai Doshi, Kiritbhai Kesurbhai Doshi, Praveenbhai Kesurbhai Doshi, Kamleshbhai Kesurbhai Doshi, Prakashbhai Kesurbhai

					Doshi, Yogeshbhai Kesurbhai Doshi 644
9	746	Private	Agriculture	0.04	Patel Kalpesh Kumar Kantilal, Mayuriben Dushyantbhai Patel, Kripal Dushyantbhai Patel, Dhruva Dushyantbhai Patel 746
10	762	Government	Gaucher	0.0334	Shree Sarakar 762
11	779	Government	Gaucher	0.0266	Shree Sarakar 779
Total				0.2751	

[F. No. NHAI/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3A3/3D3]

SHAIKH AMINKHAN, Director